

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था. (रा.न्या.से.) अवकाश / 1231 / 2022

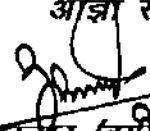
दिनांक 07.04.2022

श्री इंसाफ खान (RJ0945), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 28.02.2022 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 26.02.2022 से 27.02.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 01.03.2022 से 05.03.2022 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री खान की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर के पद पर ही की गई।

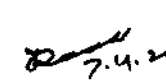
अज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06-04-2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) / 113 / 2015 / 2751

दिनांक 07.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को उनके पत्रांक 687 दिनांक 09.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री इंसाफ खान (RJ0945), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।


7.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार